निर्णय बइजालास मनीषा तिवारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ (राज0)

प्रकरण सं 582/दावा/2015

तारीख दायरा 28.09.2015

उनवान

शंकरलाल पुत्र धन्नालाल जाति मेहर निवासी झालावाड़ तह0 झालरापाटन जिला झालावाड़ (राज0)

– वादी

बनाम

1. हरिश कुमार पुत्र चन्दा जाति बलाई निवासी 86 जवाहर कॉलोनी झालावाड़
2. जगदीश कुमार पुत्र चन्दा जाति बलाई निवासी 24 बी कपिलवस्तु कॉलोनी झालावाड़
3. विद्या कुमारी पुत्री चन्दा पत्नि गोविन्द कुमार चौहान जाति बलाई निवासी 321 सेक्टर न0 6 केशवपुरा कोटा
4. रमा कुमारी पुत्री चन्दा पत्नि नरेन्द्र सिंह राठौर जाति बलाई निवासी 321 सेक्टर न0 6 केशवपुरा कोटा
5. पाना बाई बेवा चन्दा जाति बलाई निवासी 86 जवाहर कॉलोनी झालावाड़
6. तहसीलदार तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ – प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53–209 आरटी एक्ट

उपस्थिति– विद्वान अभिभाषक श्री विवेक सक्सेना (वादी)
विद्वान अभिभाषक श्री मंसूर आलम (प्रतिवादीगण)

निर्णय

निर्णय दिनांक – 21-10-15

संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सिंघानिया तह0 झालरापाटन झालावाड़ में खाता संख्या नया 285 पुराना 228 खसरा न0 261 की 1 बीघा 10 बिस्वा आराजी स्थित है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2070–73 संलग्न है। प्रश्नगत आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायता 5 के सामलाती खाते में दर्ज है। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा अधिकार व हक है और वादी उक्त आराजी पर सामलाती कब्जेकाश्त है। तथा प्रतिवादी 1 लगायत 5 का भी खसरा न0 261 की 1 बीघा 10 बिस्वा आराजी में 1/2 हिस्सा है। प्रश्नगत आराजी वादी एवं प्रतिवादी गण 1 लगायत 5 के संयुक्त खातेदारी में होने से आराजी का विकास नहीं हो पाता है तथा भूमि सुधार में काफी अड़चन आती है। इस कारण वादी अपने हिस्से की 1/2 आराजी कानून सम्मत बटवारा करवाकर अपने हिस्से की आराजी पृथक करवाना चाहता है। वाद कारण दिनांक 15.05.2015 को हुआ जब वादी ने उक्त भूमि का खाता अलग करने की बात प्रतिवादीगणों से की तो उन्होने इन्कार कर दिया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया है। तथा पत्रावली जवाब दावे में रखी गई। वकील प्रतिवादीगण ने दिनांक 21.11.2015 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। प्रति वकील वादी को दिलवाई गई तथा पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़ (राज0)

कायमी तनकीयात में रखी गई। न्यायालय द्वारा दावा एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयात भी कायम कर दी गई थी। तथा पत्रावली साक्ष्य वादी में रखी गई। साक्ष्य वादी में वकील वादी ने वादी का तस्दीकशुदा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। वकील प्रतिवादी ने वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र पर जिरहे नहीं की गई तथा जिरहे शून्य रही। वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य प्रतिवादीगण नही करवाई है। तथा पत्रावली बहस उभय पक्षकारान मे रखी गई।

पत्रावली में उभय पक्षकारान की बहस को सुना पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी अध्ययन किया गया। बाद अध्ययन वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब द्वारा इकबाली प्रतीत होता है क्योंकि प्रतिवादी ने स्वयं ने प्रश्नगत आराजी को अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य 1/2–1/2 विभाजन कर विभाजन किये जाने पर सहमति जताई है। इसलिए न्यायालय द्वारा पत्रावली में कायम की गई तनकीयात का विस्तृत विवेचन नहीं किया है। अतः दावा वाद वादीगण एव प्रतिवादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

वाद वादीगण एवं प्रतिवादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाता है तथा आदेश है कि ग्राम सिंघानिया तह0 झालरापाटन की खाता संख्या नया 285 पुराना 228 की खसरा नं0 261 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगणों का 1/2 हिस्सा पृथक किया जावे। तहसीलदार झालरापाटन राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के तहत अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी का बटवारा तैयार कर बटवारा प्रस्ताव भिजवावें। प्राथमिक डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 21-10-19 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मनीषा तिवारी)
[illegible] अधिकारी
झालावाड

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Tiwari
Date: 2019.11.15 12:08:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: